

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23(3) के अन्तर्गत
संवर्गवार स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची
(श्रेणी "ख" के कार्मिकों हेतु)

श्रेणी "ख"

(सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग)

सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग के सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची एवं उपलब्ध/संभावित रिक्तियों की सूची -

क्र० सं०	पात्रता सूची		
	कार्मिकों का नाम	वर्तमान तैनाती	अभ्युक्ति
1.	श्री प्रेम लाल	देहरादून	
2.	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	ऊधमसिंहनगर	
3.	श्री बृजेश सिंह	टिहरी	वरिष्ठ कार्मिक
4.	श्री लीलाधर सागर	अल्मोड़ा	

क्र० सं०	सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध/संभावित रिक्तियों की सूची		
	जनपद का नाम	कार्यालय का नाम	रिक्तियों की संख्या
1.	पिथौरागढ़	कार्यालय सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	1
2.	चम्पावत	कार्यालय सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	1
3.	चमोली	कार्यालय सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	1
4.	बागेश्वर	कार्यालय सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	1
5.	उत्तरकाशी	कार्यालय सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	1

सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग के दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची एवं उपलब्ध/संभावित रिक्तियों की सूची -

क्र० सं०	पात्रता सूची		
	कार्मिकों का नाम	वर्तमान तैनाती	अभ्युक्ति
1.	श्री नरेन्द्र सिंह डुंगरियाल	पिथौरागढ़	
2.	श्री सुनील अधिकारी	चम्पावत	
3.	श्री अभिनव नौटियाल	चमोली	
4.	श्री अनुराग मिश्र	बागेश्वर	
5.	श्री पियूष आर्य	उत्तरकाशी	

क्र० सं०	दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध/संभावित रिक्तियों की सूची		
	जनपद का नाम	कार्यालय का नाम	रिक्तियों की संख्या
1.	हरिद्वार	कार्यालय सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	1
2.	देहरादून	कार्यालय सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	1
3.	ऊधमसिंह नगर	कार्यालय सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	1
4.	टिहरी	कार्यालय सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	1
5.	अल्मोड़ा	कार्यालय सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	1

नोट:—यद्यपि उपरोक्त सूचना संकलन में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, तथापि सूची में दर्शायी गई सेवा अवधि में न्यूनाधिक व्यक्तिक्रम सम्भाव्य है। यदि किसी कार्मिक को आपत्ति है तो सक्षम प्रमाण सहित निदेशक, डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।